न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबूलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 12/2020 **{RCMS 2020/00026}**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. प्रभाती देवी पत्नी जीतमल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी

दावा :– अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।

निर्णय

दिनॉक :– 11.10.2021

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–2076 अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3353/332 रकबा 0.2444 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, प्रतिवादी ने उक्त खसरा की भूमि बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के आवासीय कॉलोनी एवं जोधपुर के पत्थर की कटींग का कार्य कर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, वादी के पास इस आशय की सूचना दी है कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि में कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है, पटवारी हल्का कुचामनसिटी ने पेश की, जिस पर प्रतिवादी को वादी द्वारा नोटिस दिया गया, परन्तु प्रतिवादी कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने की विहित प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रहा है, प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नहीं है, बिनाय दावा दिनॉक 11.07.2019 को वादी के पास विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 90 R.L.R.Act सं. 20/2019 प्रस्तुत होने पर उत्पन्न हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि प्रतिवादी ने बिना विहित प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है अतः ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3353/332 रकबा 0.2444 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय के प्रतिवादी के हिस्से को राजकीय खाते में दर्ज किये जाने के आदेश कर मय वादी को कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये अखबार इस्तहा सम्मन जारी कर तलबी की गई, दिनांक 27.02.2020 दैनिक नवज्योति अंक पेज सं. 9 पर सम्मन प्रकाशित होकर प्रति शामिल मिसल की गई, प्रतिवादीगण को आवाजे लगाई गई, जो अनुपस्थित रहे जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में धारा 90 ए के प्रकरण की छाया प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:16:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–2077 की प्रमाणित प्रति, एवं चालू जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की।

प्रकरण में राज पैरोकार की बहस सुनी गई, जिन्होने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त भूमि को राजकीय दर्ज कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट 90 ए कार्यवाही अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3353/332 रकबा 0.2444 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय में भूमि बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के आवासीय कॉलोनी एवं जोधपुर के पत्थर की कटींग का कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन काम में लिया है, जमाबंदी नकल सम्वत 2074–77 अनुसार निम्नवत प्रविष्टि दर्ज है :–

ग्राम का नाम :- कुचामनसिटी	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- कुचामनसिटी	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- कुचामनसिटी	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 481
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 554

काश्तकार का नाम:-

1. प्रभातीदेवी पत्नि जीतमल हिस्सा- पूर्ण जाति- कुमावत सा.देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
3353/332	0.2444	बारानी 2	0.2444	1.47		स्वीकृत नामांतरकरण : 5108 15/05/2019 बेचान	
कुल खसरे - 1	0.2444		0.2444	1.4700			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

प्रश्नगत ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3353/332 रकबा 0.2444 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय प्रतिवादी के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी का अनुपस्थित रहना ही अपने आप में साबित है कि प्रश्नगत भूमि में उपरोक्त भूमि को बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये अकृषि प्रयोजन प्रयोग में लिया है तथा आवासीय कॉलोनी एवं जोधपुर के पत्थर की कटींग का कार्य कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त भूमि राजकीय दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने हेतु वाद डिक्री पाया गया।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3353/332 रकबा 0.2444 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पत्र मय जाब्ता शामिल मिसल किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:16:39 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 11.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम : **कुचामन सिटी**

बइजलास : **बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 12/2020 **{RCMS 2020/00026}**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. प्रभाती देवी पत्नी जीतमल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी

दावा :– अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू राज पैरोकार हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3353/332 रकबा 0.2444 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को 11.10.2021 को जारी की गई।

दस्तखत..............................

ओहदा.............................(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (ना...)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:16:39 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का ... डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए